रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-21052022-235939
CG-HR-E-21052022-235939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
No. 269] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 6 मई, 2022

गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंत: पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022

सं. जेईआरसी-21/2017.- विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86(3) और धारा 181 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इसकी ओर से आयोग की समर्थकारी अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हुए और पिछले प्रकाशन के बाद, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पूर्ववर्ती प्रकाशन के उपरांत, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंत: पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) विनियम, 2017 (इसके बाद "मूल विनियम" के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन करता है।

1) लघु शीर्षक, प्रारंभ और लागू होना

क) इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंत: पारेषण और वितरण के लिए कनेक्टिविटी और निर्बाध पहुंच) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।

ख) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

ग) ये विनियम गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़ पर लागू होंगे।

2) मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

विनियम 5.2(1)(ख) का मौजूदा पैरा अर्थात्

"किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण की मात्रा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा विद्युत के "अनुमत्य आहरण" से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उस ओपन एक्सिस की अधिकतम मात्रा और वांछित मांग का अंतर है जिसके लिए नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदन प्रदान दिया गया है।"

को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है:

"दिवस के किसी भी समय के दौरान संवितरण लाइसेंसधारी से आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा विद्युत आहरण की मात्रा ओपन एक्सेस उपभोक्ता द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार "अनुबंध मांग" या "स्वीकार्य निकासी" (जो नोडल एजेंसी द्वारा अनुमोदित संविदा मांग और ओपन एक्सेस की अधिकतम मात्रा के बीच का अंतर है), से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किसी भी समय, प्रणाली से/को कुल आहरण/ इनपुट संविदागत मांग से अधिक नहीं होगा जिसके लिए उपभोक्ता ने वितरण उपयोगिता के साथ अनुबंध किया है।

वितरण लाइसेंसधारी से विद्युत के आहरण के उद्देश्य से मौजूदा और नए आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को इन विनियमों की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर "अनुबंध मांग" या "अनुमत्य आहरण" के बीच चयन करना होगा, जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू होगा।

बशर्ते कि ये आंशिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता आगामी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से कम से कम सात (7) दिन पहले "अनुबंध मांग" या "स्वीकार्य निकासी" के बीच चयन करेंगे, जो आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू होगा।

3) मूल विनियम के विनियम 7क.1 में संशोधन

निम्नलिखित परंतुक को विनियम 7क.1(2) में जोड़ा गया है:

"बशर्ते कि पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रह की गई ऊर्जा को ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान आहरित किया जा सकता है, लेकिन ऑफ-पीक टीओडी स्लॉट के दौरान संग्रह की गई ऊर्जा पीक टीओडी स्लॉट के दौरान आहरित नहीं की जाएगी।"

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./88/2022-23]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurugram, the 6th May, 2022

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra- State Transmission and Distribution) (Second Amendment) Regulations, 2022

No. JERC-21/2017.—In exercise of the powers conferred under section 86(3) and Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby, after prior publication, makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa& Union Territories (Connectivity and